जनपद स्तर पर वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक एवं दुग्ध निरीक्षक, डेरी विकास के सामान्य कर्त्तव्य एवं दायित्व का विवरणः–

1. जिला योजना, राज्य योजनान्तर्गत गंगा गाय महिला डेरी योजना व दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजनाओं तथा अन्य विभिन्न योजनाओं का उच्चाधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशानुसार कियान्वयन करना/कराना।
2. प्राथमिक दुग्ध समितियों तथा दुग्ध अवशीतन केन्द्रों का समय–समय पर निरीक्षण करना,
3. दुग्ध समितियों का गठन कराना, इस हेतु संबंधित ग्रामों/क्षेत्रों का सर्वे करवाना, राजकीय सहायता उपलब्ध कराना तथा समिति स्तर पर निरीक्षण/सत्यापन सुनिश्चित करना,
4. प्राथमिक दुग्ध सहकारी समितियों के विस्तार संबंधी योजना तैयार कर उच्चाधिकारी को प्रेषित करना,
5. दुग्ध समिति स्तर की समस्याओं को दुग्ध संघ स्तर से समन्वयन स्थापित कर उसका निस्तारण करवाना तथा प्राथमिक दुग्ध समिति की शिकायतों का निस्तारण करना,
6. समितियों के निबंधन संबंधी प्रकरणों पर संबंधित समितियों का भ्रमण करना तथा निरीक्षण रिपोर्ट सहायक निदेशक को प्रेषित करना,
7. जनपद स्तर पर समय–समय पर केन्द्रीय दुग्ध समिति (दुग्ध संघ) एवं प्राथमिक दुग्ध सहकारी समितियों में निर्वाचन कार्यों को सम्पन्न कराने में सहयोग करना, प्राथमिक दुग्ध समितियों से प्राप्त मतदाता सूची का सत्यापन करना,
8. दुग्ध समितियों के स्तर पर दुग्ध विकास कार्यक्रमों/संचालित योजनाओं (गंगा गाय महिला डेरी योजना, दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना, जिला योजना आदि) के अन्तर्गत मुहैया करायी जा रही सुविधाओं/अनुदान तथा विभाग/संस्था द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न सुविधाओं के संबंध में दुग्ध उत्पादकों को अवगत कराना तथा योजनान्तर्गत वांछित सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराना,
9. समिति स्तर पर समय–समय पर आयोजित बैठकों में प्रतिभाग करना तथा तहसील दिवस व बी0डी0सी0 की बैठकों में सहायक निदेशक की अनुपस्थिति में विभाग की ओर से प्रतिभाग करना,
10. प्राथमिक दुग्ध समिति स्तर पर विभिन्न अभिलेखों को सुव्यवस्थित रूप से तैयार कराना,
11. प्राथमिक दुग्ध समिति स्तर पर प्रबंध कमेटी तथा वार्षिक सामान्य निकाय की बैठक का समय आयोजन सुनिश्चित कराना,

निदेशक
डेरी विकास उत्तराखण्ड
हल्द्वानी (नैनीताल)

Scanned by CamScanner

12. उत्तराखण्ड सहकारी समिति अधिनियम, 2003 सहपठित नियमावली, 2004 में निर्धारित कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन करना तथा अधिनियम/नियम में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत दुग्ध संघ एवं प्रारंभिक दुग्ध सहकारी समितियों में उत्पन्न विवादों का नियमानुसार निस्तारण करना,
13. समय–समय पर दुग्ध समिति के सचिव, प्रबंध कमेटी सदस्यों, दुग्ध उत्पादकों को समिति स्तर पर मिलावटी दुग्ध के संबंध में आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराना तथा दुग्ध व्यवसाय संबंधी आधुनिक तकनीकी ज्ञान हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करवाना,
14. जनपद स्तर पर विभिन्न योजनान्तर्गत समुचित प्रस्ताव तैयार कराकर उच्चाधिकारी/सक्षम स्तर पर प्रेषित करना,
15. दुग्ध समितियों के स्तर पर ऑडिट आपत्तियों का परिपालन सुनिश्चित कराना,
16. जनपद स्तर पर सहायक निदेशक के नियंत्रण में रहते हुए विभागीय विकास कार्यों में सहयोग प्रदान करना तथा समय–समय पर उच्चाधिकारियों/सहायक निदेशक/विभागाध्यक्ष द्वारा निर्गत निर्देशों का ससमय अनुपालन करना।

जनपद स्तर पर दुग्ध निरीक्षक, वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक के नियंत्रण में रहते हुए कार्य सम्पादित करेंगे तथा अपने अधीन कार्यरत राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षकों के कार्यों पर नियंत्रण रखेंगे।

निदेशक
डेयरी विकास उत्तराखण्ड
हल्द्वानी (नैनीताल)

Scanned by CamScanner